संचिका सं0–7/बजट–46–22/2023 – 365 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **वित्त विभाग।**

पटना, दिनांक– 17/01/2025

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 100 शैय्या के अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 20,15,22,000/–(रुपये बीस करोड़ पन्द्रह लाख बाईस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–1196, दिनांक–22.05.2023 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 100 शैय्या के अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी के भवन निर्माण हेतु कुल रु० 20,15,22,000/–(रुपये बीस करोड़ पन्द्रह लाख बाईस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान मे रखा जायगा–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नही कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य मे सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के संबधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तद्‌क्रम मे निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना के सबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

3– उक्त कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113 –जिला एवं अनुमडलीय अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा ।

4– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड 00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे सक्षम कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

7– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 वि0(2), दिनाक 17 04 98, 8543 वि0(2), दिनांक–27 11 2007, 3758/वि०, दिनाक 31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

9– प्रस्ताव मे विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–09.10 2023 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–263(7), दिनाक–12.10 2023 मे स्वीकृति प्राप्त है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे माननीय उप–मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है ।

13– संबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17.1.25

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक— 365 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक— 17 / 01 /2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढी/अधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पुपरी, सीतामढी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-- सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.1.25

सरकार के अपर सचिव ।